

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-9
संख्या- 1301 /दो-9-2018

लखनऊ दिनांक-27 जून-2018

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 के प्रथम संशोधन नियमावली 2014 दिनांक 04-03-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री रामेश्वर नाथ तिवारी अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) (पी0सी0एस0) अलीगढ़ को उनके स्वयं की दिनांक 24-01-2018 से 30-01-2018 तक डॉ अतुल मिश्रा, फोर्टिस हास्पिटल नोएडा से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष धनराशि रू-2,75,862/- (रूपये दो लाख पचत्तर हजार आठ सौ बासठ मात्र) का भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत बिल बाउचर्स का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

2 उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय " के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री रामेश्वर नाथ तिवारी, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अलीगढ़ का वेतन आहरित किया जाता है।

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या- 1301(1) /दो-9-2018. तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- पंजीकृत
1. जिलाधिकारी, अलीगढ़ को मूल बिल/ बाउचर्स सहित।
 2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
 3. मुख्य कोषाधिकारी, अलीगढ़।
 4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
 5. श्री रामेश्वर नाथ तिवारी, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अलीगढ़।
 6. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
 7. कम्प्यूटर प्रोग्रामर नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से.
विश्वनाथ दुबे
(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव